

Settlement Case 94/20223

28/1

अंचल अधिकारी, मनातु का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम आपका पता 50 सख्त पलासु रजौ

खाना - नॉटिस

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा नॉटिस देखा 346
खाता नं०..... 51... खेसरा नं०..... 10/3... रकबा..... 1.00/10... से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपसन्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं व
साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ति करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

28/1/24
अंचल अधिकारी
मनातु पलासु

अधिलेख अधिकारी

का कार्यालय

अधिलेख बाद संख्या-

106/16-15

बाद का प्रकार- बिहार (आरक्षण) मुमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

आरक्षण सरकार के आर्पांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2018

सहपत्रिका-डी अनुसूचि जांचकर्ता निदेशावली 12-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं मुमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ0/रा0/नि-119/85/2308/रा0, दिनांक-23.09.1988 एवं सह-पत्रिका राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-05.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास मुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हलका राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम प्रतिवेदन किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की मुमि -

मौजा- 2821, धाना- 346, खता संख्या- 41, प्लॉट संख्या- 10/2, एकड़- 1.00, सड़क की मुमि जो गैरमजदूरा खास अनाबाद बिहार (आरक्षण) सरकार के खाते की संपत्ति मुमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के खेती-1 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 28/2 पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

अफसर (जा)

हलका कर्मचारी एवं अधिलेख निदेशों द्वारा जांचकर्ता को उपर्युक्त विवरणों की मुमि के संबंध में कायम जमाबंदी को सही प्रतिवेदन किया गया है।

हलका कर्मचारी एवं अधिलेख निदेशों द्वारा समिति जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कौतकर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध सामान विवरण के आधार पर / सादा हलका खास के आधार पर कायम की गयी है, जिसका खर्च निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कायम करना है।

अतः उपर्युक्त उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सही जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरक्षण) मुमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बाध्यता प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस जारी कर उपर्युक्त मु-खण्ड से संबंधित पूछ-छाहनें / निर्णय लगान संबंध की कार्य करें तथा उनकी कारण-पुष्टि करें, कि क्यों नहीं उपर्युक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरक्षण) मुमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को सौंप कर उसे अनुसूचित किया जाय।

अधिलेख दिनांक- 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं अंशोचित

अधिलेख अधिकारी

अधिलेख अधिकारी

मनो

2018-11-15 14:15:15

सादेहा/सदेहासुद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. सादेहा/सदेहासुद जमाबंदी खात का नाम :- **अफसर (कै. 5/0 लमखु-खा. ला. 0-11/3)**
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	खाना सं०	खाना सं०	खाना सं०	रकबा
फा नोई	046	41	10/3	1.00
उता-2841				
3. जमाबंदी पंजी-III के जिल्ल संख्या पृष्ठ सं० **28/1** पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - **02.83**
5. अधिपान के अनुसार उपरोक्त भूमि की खातेदार का नाम :-
6. किस समन प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है -
7. यदि सदेहासुद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी स्थल का नाम :- **20.5.80**
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अतिरिक्त सादा/सदेहासुद/लंगान निर्धारण/अन्य गुरुत्ववस्ती) :- **74/02.83**
9. सदेहासुद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा स्थापित भूदान/पञ्चीकृत पंजी/समान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. सादेहासुद जमाबंदी के अंकित लंगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या	लंगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
५	1107052	20/8/08	2002-03-2008
11	3737384	15/8/11	2007-2012

(Signature)

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

3

आगुल्लेख उपलब्ध विभाग
प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ।

अतः पुनः द्वितीय गरीब व निर्धन
को, तथा तब तक

मंगल

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
28/12/2025 अभिलेख उपस्थापित।	राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 41 प्लॉट सं०-10/3 रकबा 1.00 ए० पर अपसर खाँ पिता समसु खाँ के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी बन्दोबस्ती वाद सं० 94/2002-03 प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का मांग पंजी II के पेज नं० 28/2 पर कायम है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को को सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्यवाई.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

